

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

श्री उगमसिंह

बनाम कमला व अन्य

किस्म मुकदमा 212

33/2010.....सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.10.2017	<p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी /वकिल प्रार्थी के द्वारा अवशेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिए जाने पर पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। इसके पश्चात भी कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। इस हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद प्रार्थी /वकिल प्रार्थी ने अवशेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु किसी प्रकार की रूची नहीं दिखाई गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय आदेश से अवसर दिए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। प्रकरण में सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी प्रार्थी/प्रार्थी वकिल ने तलबी हेतु कोई रूची प्रकट नहीं की गई। जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	